

मांग संख्या 55  
मुख्य शीर्ष 2235

**मद क्रमांक 1 से 3**

एकीकृत बाल विकास सेवा योजना के अंतर्गत राज्य के पर्यवेक्षकों, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, सहायिकाओं के नियमित प्रशिक्षण हेतु ₹ 1100.00 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है।

अतः इस प्रयोजन हेतु कुल ₹ 11,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

**मद क्रमांक 4**

शुचिता योजना अंतर्गत किशोरी बालिकाओं के लिये स्कूल में सेनेटरी नेपकिन एटीएम मशीन, भस्मक यूनिट एवं सोलर पैनल की स्थापना हेतु ₹ 500.00 लाख का व्यय संभावित है।

अतः इस प्रयोजन हेतु ₹ 5,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

**मुख्य शीर्ष 2236**

**मद क्रमांक 5**

महतारी जतन योजना अंतर्गत आंगनवाड़ी केन्द्रों के लिए बरतन क्रय हेतु ₹ 805.00 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है।

अतः इस प्रयोजन हेतु ₹ 100 का प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

**मुख्य शीर्ष 4235**

**मद क्रमांक 6 से 7**

एक मुश्त अतिरिक्त केन्द्रीय सहायकता अंतर्गत सामान्य क्षेत्र हेतु आंगनवाड़ी भवन निर्माण पर ₹ 293.20 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है।

अतः इस प्रयोजन हेतु ₹ 2,93,20,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

**मद क्रमांक 8**

विश्व बैंक सहायित पुनर्गठित इस्तिप परियोजना अंतर्गत राज्य को प्राप्त पुरस्कार राशि से वाहन क्रय हेतु ₹ 300.00 लाख का व्यय संभावित है।

अतः इस प्रयोजन हेतु ₹ 3,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।